


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
:: शुद्धि-पत्र ::

पटना-15, दिनांक- 11/02/2026

संख्या-14/प्रो-801/2026-2966/सा०प्र०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-788, दिनांक-12.01.2026 के द्वारा डॉ० बच्चा नन्द सिंह, सेवानिवृत्त बि०प्र०से०, को०क्र०-656/11 को अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13ए) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पद के वेतनमान का वैचारिक लाभ प्रदान किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या-21 के स्तंभ-3 में डॉ० बच्चा नन्द सिंह, सेवानिवृत्त बि०प्र०से०, को०क्र०-656/11 के वर्तमान कोटि में अंकित "मूल कोटि" के स्थान पर "अपर समाहर्ता" पढ़ा जाय।

3. पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-788, दिनांक-12.01.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।



(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/प्रो-801/2026-2966/सा०प्र० पटना-15, दिनांक- 11/02/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-8, 12 एवं 29 (बि०प्र०से० चारित्री कोषांग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।